संख्या-39/2025/1058/77-6-2025/1761517

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक** 20-05-2025

विषयः उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1518/SKS/IUP/2024-25 दिनांक 31.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित मेगा श्रेणी/अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु एलएलईसी की बैठक आहूत किये जाने का अनुरोध किया गया है एवं विचारार्थ एजेण्डा भी उपलब्ध कराया गया है।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये एजेण्डे के अनुसार औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) की स्वीकृति हेतु एचएलईसी द्वारा समीक्षा हेतु प्रकरण						
क्र.सं	**औद्योगिक इकाई का नाम**	**प्रस्तावित निवेश (₹ करोड़ में)**	**श्रेणी**	**अपेक्षित प्रोत्साहन**	**आवेदन की तिथि**	**विचारार्थ बिन्दु**
1	जेके सीमेंट लिमिटेड, प्रयागराज (पूर्वांचल)	450.92	मेगा	नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	12.02.2024	लेटर ऑफ कम्फर्ट निगर्त किये जाने हेतु
2	मून बेवरेजेस लिमिटेड, हापुड (पश्चिमांचल)	469.61	मेगा	नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	31.05.2023	तदैव
3	सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट	403.88	मेगा	नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	06.08.2024	तदैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	लिमिटेड, मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल)					
4	ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, लखीमपुर खिरी (मध्यांचल)	399.74	मेगा	पूंजीगत सब्सिडी	26.09.2024	तदैव
5	चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बिजनौर (पश्चिमांचल)	273.9	मेगा	नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	12.09.2024	तदैव
6	श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड	श्री सीमेंट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ आमेलन (amalgamation) के उपरांत एलओसी में संशोधन का बिन्दु				

3- उक्त प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 15.01.2025 को सम्पन्न हुई। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति(HLEC) में हुए विचार-विमर्श का सार निम्नवत है-

(1) जेके सीमेंट लिमिटेड, प्रयागराज

i. जेके सीमेंट लिमिटेड द्वारा **'मेगा'** श्रेणी के अंतर्गत **₹450.92 करोड़** के प्रस्तावित निवेश के साथ जनपद प्रयागराज**,** उत्तर प्रदेश में सीमेंट एवं जल आधारित पेंट के उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना की परियोजना के लिए **'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति'** विकल्प हेतु एलओसी की स्वीकृति के संबंध में आवेदन किया गया है।

ii. नोडल संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया कि आवेदक इकाई द्वारा निवेश की प्रथम तिथि **05/01/2023** इंगित की गई है, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। आवेदक द्वारा दिनांक 26/06/2024 को सीमेंट संयंत्र का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है एवं दिनांक 01.07.2025 तक पेंट इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रस्तावित है।

iii. एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत इकाई द्वारा प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है-

विवरण	**राशि (₹ करोड़ में)**	**टिप्पणी**
प्रस्तावित निवेश	**450.92**	**-**
घटाया: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022	103.74	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क: ₹1.57 करोड़ तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण पर व्यय: ₹4.85 करोड़ पूर्व-संचालन व्यय (निर्माण के समय ब्याज एवं वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के प्रस्तर 12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद		शुल्क सहित): ₹23.64 करोड़ आकस्मिकता (@7.5%): ₹25.31 करोड़ कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी: ₹5.34 करोड़ विविध अचल संपत्तियां (कार्यालय उपयोगार्थ हल्के मोटर वाहन, कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय गैजेट): ₹160 करोड़ डीप फाउंडेशन लागत का प्राविधान: ₹4.00 करोड़ संयंत्र एवं मशीनरी पर जीएसटी घटक: ₹36.28 करोड़ संयंत्र तक पहुंच मार्ग: ₹1.15 करोड़
कुल पूंजी निवेश*	**347.18**	
घटाया : अस्वीकार्य भूमि एवं भवन लागत को समायोजित किया जाएगा (प्रस्तर12.1.6 के अंतर्गत)		भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹89.41 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का ~25.75% है। क्योंकि भूमि एवं भवन की कुल लागत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.6(ii) के अनुसार कुल पूंजी निवेश के 30% से अधिक नहीं है, अतः भूमि एवं भवन का संपूर्ण मूल्य विचारणीय होगा।
पूंजी निवेश*	**347.18**	-
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (प्रस्तर12.1.10 के अंतर्गत)	-	दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेशित कुल राशि ₹0.05 करोड़ थी, जिसमें से ₹0.05 करोड़ तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण पर व्यय हो गया तथा इन्हें पहले ही उपरोक्त पूंजी निवेश की गणना में अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश, पूंजी निवेश का ~0.0144% है। चूंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेश की गई राशि 20% से कम है, अतः यह परियोजना स्वीकार्य है।
पात्र पूंजी निवेश*	**347.18**	-
*समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं		

वाणिज्य कर: आवेदक द्वारा नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की गई है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या GST Audit/2023-24/212/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम व शर्तें एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गतउत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पर जीएसटी एसओपी 64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022Part-3/1666695 दिनांक 22.11.2024 लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) मून बेवरेजेस लिमिटेड, हापुड़

i. मून बेवरेजेस लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के **हापुड़ (पश्चिमांचल)** में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के उत्पादन हेतु प्रस्तावित नवीन उत्पादन सुविधा के संबंध में 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹469.61 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

ii. उक्त परियोजना के संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट के निरस्तीकरण का प्रकरण पिकप में लंबित था। उक्त एलओसी को शासनादेश संख्या 51/2024/2423/77-6-24-5(M)/13TC (Vol-2), दिनांक 7 अक्टूबर, 2024 के अनुसार निरस्त कर दिया गया है।

iii. आवेदक इकाई द्वारा निवेश की प्रथम तिथि 12/04/2021 इंगित की गई है एवं ₹469.61 करोड़ के वास्तविक निवेश के साथ दिनांक 19/12/2023 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है।

iv. एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत इकाई द्वारा प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है-

विवरण	**राशि (₹करोड़ में)**	**टिप्पणी**
वास्तविक निवेश	**469.61**	प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद	(37.03)	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क = **₹**1.21 करोड़ निर्माण अवधि में ब्याज सहित प्रारंभिक एवं संचालन-पूर्व व्यय = **₹**35.82 करोड़
कुल पूंजी निवेश*	**432.58**	
घटाया: अस्वीकार्य भूमि एवं भवन लागत को समायोजित किया जाएगा (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)	(18.77)	*प्रस्तावित भूमि एवं भवन लागत = ₹148.54 करोड़ (कुल पूंजी निवेश का 34.33% जो भूमि एवं भवन की 30% सीमा से अधिक है)* *पात्र भूमि एवं भवन की गणना हेतु पूंजी निवेश का 30% = ₹129.77 करोड़*
पूंजी निवेश*	**413.81**	
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (प्रस्तर 12.1.10 के अंतर्गत)	(24.45)	*दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि ₹26.38 करोड़ है, जिसमें से ₹1.20 करोड़ स्टाम्प एवं पंजीकरण पर व्यय है*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		एवं ₹0.73 करोड़ प्रारंभिक एवं संचालन-पूर्वव्यय है, जिन्हें ऊपर पूंजी निवेश की गणना में अस्वीकृत कर दिया गया है।
पात्र पूंजी निवेश*	**389.36**	
**समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं*		

v. समिति द्वारा प्रेक्षण किया गया कि आवेदक ने वाणिज्यिक उत्पादन (डीसीसीओ) दिनांक 19.12.2023 को प्रारंभकिया था, जबकि परियोजना दिनांक 31.03.2024 को पूर्ण हुई थी, जिसमें डीसीसीओ एवं परियोजना पूर्ण होने की तिथि के बीच संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य अवस्थापना के मद में ₹2.18 करोड़ का निवेश किया गया था।उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के प्रस्तर 2.1.11 के अनुसार, "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से पृथक परंतु4/5/7/9 वर्षों के भीतर (श्रेणी के आधार पर) किए गए पूंजी निवेश की 10% से अधिक राशि को भी पात्र पूंजी निवेश के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, परंतु इस नीति में परिभाषित परियोजना श्रेणी, ऐसे प्रकरणों में समान बनी रहेगी"।उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार, चूंकि उक्त निवेश 10% की सीमा के भीतर है, अतः इसे पात्र पूंजी निवेश की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

vi. चूंकि आवेदक ने नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या GST Audit/2023-24/212/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु नेट एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी एसओपी लागू होंगे।

(3) **सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड**, **मुजफ्फरनगर**

i. सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने **₹403.88 करोड़** के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल) में अपनी प्रस्तावित विस्तार एवं विविधीकरण इकाई हेतु '**नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति विकल्प**' के संबंध में एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है।

ii. प्रस्तावित निवेश चार चरणों में किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण में ₹30.93 करोड़ के निवेश के साथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं सोडा के विविधीकरण परियोजना को पूर्ण किया जाएगा एवं तृतीय और चतुर्थ चरण में ₹372.95 करोड़ के निवेश के साथ लेखन एवं मुद्रण कागज की विस्तारीकरण परियोजना को पूर्ण किया जाएगा।

iii. आवेदक इकाई द्वारा विविधीकरण परियोजना को दिनांक 30.09.2025 तक एवं विस्तारीकरण परियोजना को दिनांक 30.10.2027 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विविधीकरण परियोजना (पैकेज्ड पेयजल एवं सोडा) का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2024 एवं01.10.2025 तक प्रारंभ करने का प्रस्ताव है एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विस्तारीकरण परियोजना (लेखन तथा मुद्रण कागज) हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.04.2026 एवं 31.10.2027 तक प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

iv. निवेश की प्रथम तिथि पर सकल ब्लॉक ₹214.73 करोड़ था। अतः, प्रस्तावित विस्तारीकरण एवं विविधीकरण की स्वीकार्यता की समीक्षा की गई एवं प्रस्तावित विविधीकरण तथा विस्तारीकरण पर संयुक्त रूप से विचार किया गया जो कि विद्यमान सकल ब्लॉक पर 25% की वृद्धि होनी चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित है -

v. विविधीकरण एवं विस्तारीकरण परियोजना (सकल ब्लॉक में % वृद्धि): (403.88/214.73) *100=188.08%

यद्यपि, इस संबंध में पिकप द्वारा यह सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तारीकरण एवं विविधीकरण पर विद्यमान सकल ब्लॉक पर 25% की वृद्धि स्वीकार्य मानी जाती है।

v. एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत इकाई द्वारा प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है-

विवरण	**राशि (₹करोड़ में)**	**टिप्पणी**
प्रस्तावित निवेश	**403.88**	प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर12.1.6 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद	(1.63)	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क = ₹1.63 करोड़
कुल पूंजी निवेश	**402.25**	
घटाया: अस्वीकार्य भूमि एवं भवन लागत को समायोजित किया जाएगा (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)	-	प्रस्तावित भूमि एवं भवन लागत = ₹51.20 करोड़ (कुल पूंजी निवेश का 12.72% जो भूमि एवं भवन की 30% सीमा के भीतर है)
पूंजी निवेश*	**402.25**	
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (12.1.10 के अंतर्गत)	(10.97)	दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेशित कुल राशि ₹10.97 करोड़ है। प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश, पूंजी निवेश का ~2.72% है। चूंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेश की गई राशि 20% से कम है, अतः यह परियोजना स्वीकार्य है।
पात्र पूंजी निवेश*	**391.28**	
*समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vi. चूंकि आवेदक द्वारा नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की गई है अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जीएसटी Audit/2023-24/212/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु नेट एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी एसओपी लागू होंगे। वाणिज्य कर विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या F.No.-79/G.S.T. Audit/2023-24/65/State Tax दिनांक 04 जून, 2024 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि विस्तारीकरण एवं विविधीकरण के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु पृथक जीएसटीआईएन की आवश्यकता नहीं है।

(4) ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, लखीमपुर खीरी

i. ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के **लखीमपुर खीरी (मध्यांचल)** में ₹399.74 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ शराब (आईएमआईएल) / देशी शराब (सीएल) 70 केएलपीडी अनाज आधारित डिस्टिलरी 150 केएलपीडी अनाज आधारित डिस्टिलरी एवं 6 के एलपीडी माल्ट स्पिरिट्स संयंत्र के निर्माण हेतु अपनी प्रस्तावित विस्तार सुविधा के संबंध में 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति के संबंध में आवेदन किया गया है।

ii. प्रस्तावित निवेश तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि क्रमशः 01.10.2024, 01.10.2025 एवं 01.09.2027 होगी। आवेदक को प्रथम चरण में वाणिज्यिक उत्पादन 01.10.2024 तक प्रारंभ होने की संभावना थी परंतु वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने में विलंब हो रहा है। यद्यपि आवेदक तीसरे चरण के सापेक्ष निवेश पूर्ण करने के उपरांत' मेगा-श्रेणी' हेतु निवेश की सीमा प्राप्त कर सकेगा।

निवेश की प्रथम तिथि (28 अप्रैल, 2024) पर सकल ब्लॉक ₹52.05 करोड़ था एवं प्रस्तावित विस्तारितकरण के सापेक्ष 768% की वृद्धि हो रही है जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.4 के अनुसार विस्तारीकरण परियोजना हेतु अर्ह है।

iii. एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत इकाई द्वारा प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है-

विवरण	राशि (₹करोड़ में)	टिप्पणी
प्रस्तावित निवेश	**399.74**	प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: उत्तर प्रदेश औद्योगिक	77.85	कार्यशील पूंजी, मार्जिन, ऋण पर ब्याज, आकस्मिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022के प्रस्तर12.1.6 एवं12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद		व्यय:₹56.25 करोड़ संयंत्र एवं मशीनरी पर जीएसटी: ₹21.6 करोड़
कुल पूंजी निवेश*	**321.89**	
घटाया: अस्वीकार्य भूमि एवं भवन लागत को समायोजित किया जाएगा (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)	-	प्रारूप 2 के अनुसार, भूमि की लागत ₹0.0 करोड़ है क्योंकि यह विद्यमान भूमि पर विस्तारीकरण है। प्रारूप2 के अनुसार, भवन की लागत ₹63.83 करोड़ है। कुल भूमि एवं भवन की लागत ₹63.83 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का ~19.83% है।
पूंजी निवेश*	**321.89**	
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (12.1.10 के अंतर्गत)	-	04.11.2022 से पूर्व निवेशित कुल राशि शून्य है।
पात्र पूंजी निवेश*	**321.89**	
*समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। नोट: आवेदक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र एवं रोजगार हेतु भी आवेदन किया गया है, जो उपयुक्त रूप से अनुमन्य होगा।		

(5) - चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बिजनौर

i. चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा 'मेगा' श्रेणी के अंतर्गत **₹273.9** करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश में एमजी पोस्टर पेपर, क्वालिटी क्राफ्ट पेपर, मेडिकल ग्रेड पेपर, फूड ग्रेड पेपर एवं कोटेड पेपर उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना हेतु 'विस्तारीकरण' परियोजना के लिए **'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति'** विकल्प के संबंध में एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

ii. प्रस्तावित निवेश दो चरणों में किया जाएगा। आवेदक द्वारा निवेश की प्रथम तिथि **01/04/2022** सूचित की गई थी, जो संयंत्र एवं मशीनरी के संदर्भ में थी। आवेदक द्वारा दिनांक 20/09/2024 को संयंत्र के प्रथम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है एवं दिनांक 01.09.2027 तक दूसरे चरण की इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रस्तावित किया गया है।

iii. निवेश की प्रथम तिथि पर सकल ब्लॉक ₹65.58 करोड़ था। अतः, प्रस्तावित विस्तार की स्वीकार्यता की समीक्षा की गई, जो विद्यमान सकल ब्लॉक पर 25% की वृद्धि होनी चाहिए, जो निम्नवत है -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विस्तारीकरण परियोजना (सकल ब्लॉक में % वृद्धि): (273.98/65.58) *100=417%

iv. एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत इकाई द्वारा प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है-

विवरण	राशि (₹करोड़ में)	टिप्पणी
प्रस्तावित निवेश	**273.9**	-
घटाया: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद	--	
कुल पूंजी निवेश*	**273.9**	
घटाया: अस्वीकार्य भूमि एवं भवन लागत को समायोजित किया जाएगा (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)		*भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹27.99 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 10.21% है।चूंकि भूमि एवं भवन का कुल मूल्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर12.1.6(ii) के अनुसार कुल पूंजी निवेश के 30% से अधिक नहीं है, अतः भूमि एवं भवन के संपूर्ण मूल्य पर विचार किया जाएगा।*
पूंजी निवेश*	**273.9**	-
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (प्रस्तर 12.1.10 के अंतर्गत)	2.32	*दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि ₹2.32 करोड़ है। प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश पूंजी निवेश का ~0.8% है। चूंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेशित राशि 20% से कम है, अतः यह परियोजना स्वीकार्य है।*
पात्र पूंजी निवेश*	**271.66**	-
**समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं*		

वाणिज्य कर: चूंकि आवेदक द्वारा नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की गई है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या GST Audit/2023-24/212/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु शुद्ध एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी एसओपी 64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022Part-3/1666695 दिनांक 22.11.2024 लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड

i. श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को पुज्जोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण हेतु अपनी नवीन विनिर्माण इकाई के संबंध में Invest UP/382/SKS/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 के माध्यम से एलओसी निर्गत किया गया था।

ii. एन.सी.एल.टी, कोलकाता द्वारा07 अक्टूबर, 2024 के आदेश के अधीन श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड ("एससीएनपीएल") को **श्री सीमेंट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ("एस.सी.ई.पी.एल.")** के साथ समामेलन की योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

iii. उपर्युक्त समामेलन योजना के अनुसार, एस.सी.ई.पी.एल. की समस्त परिसंपत्तियां एवं देयता समामेलन योजना के आधार पर इसके विघटन पर एस.सी.ई.पी.एल. को हस्तांतरित हो जाएंगी।

iv. आवेदक द्वारा समामेलन की गई इकाई के नाम के साथ प्रस्तावित स्थान हेतु जी.एस.टी.आई.एन. को संशोधित किया गया है।

4- उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, अधिसूचना संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-2(एम)/2022 दिनांक 04.11.2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 एवं शासन के पत्र संख्या- संख्या-437/77-6-2025/6099/225/2023/1761517, दिनांक 03.03.2025 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर-3 में वर्णित प्रथम 05 औद्योगिक इकाईयों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किए जाने एवं षष्टम औद्योगिक इकाई **- श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड** ("एससीएनपीएल") के नाम से निर्गत एल.ओ.सी. दिनांक 28.06.2024 में संशोधन करते हुए **श्री सीमेंट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ("एस.सी.ई.पी.एल.")** के नाम से एलओसी निर्गत किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत/संशोधन किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in